दून विश्वविद्यालय DOON UNIVERSITY

मोथरोवाला रोड़, केदारपुर, पो0ओ0 डिफेन्स कालोनी, देहरादून – 248012 (उत्तराखण्ड) भारत

Mothrowala Road, Kedarpur, P.O. Defence Colony, Dehradun - 248012 (Uttarakhand) INDIA

पत्रांक: 607/DU-2024

दिनांक: 02/09/24

सूचना

समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक वर्ष: 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति तथा ई०बी०सी० (आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य जाति) के छात्र/ छात्राओं के नवीन पंजीकरण/नवीनीकरण (Renewal) हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal) https://Scholarships.gov.in को दिनांक: 31 अक्टूबर 2024 तक खोला गया हैं। अतः छात्र/छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि, वह आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों को ससमय अपलोड करें। अपलोड करने के उपरांत आवेदन पत्र एवं प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति निश्चित समय से पूर्व प्रशासनिक भवन (कक्ष सं-109) में जमा करा दे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति हेतु ओ०टी०आर० करना अनिवार्य है एवं छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त आवेदकों के बैंक खाते में आधार सीडिंग/डी०बी०टी० की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ओ०टी०आर० किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संलग्न में दिए गए हैं।

(दिवेंदु रावत)
सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, कुलपति जी को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव/वित्त नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी, आई०टी० सेल को उक्त सूचना आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. समस्त सूचना पट्ट।

(दिवेंदु रावत)
सहायक कुलसचिव

Tel. : +91-135-2533136 (O), 2533115 (Telefax) E-mail : regoffice@doonuniversity.ac.in

➢ **One Time Registration (OTR) किए जाने हेतु आवश्यक क्रियाकलाप एवं दिशा–निर्देश :–**

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु ओ0टी0आर0 करना अनिवार्य है यह छात्र के सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगा।

- ओ0टी0आर0 जनरेट करने के लिए आधार आवश्यक है।

- जिन छात्रों के पास आधार कार्ड संख्या मौजूद नहीं है वह आधार नामांकन आई0डी0 (EID) का उपयोग करके ओ0टी0आर0 जनरेट कर सकते हैं। आधार नामांकन आई0डी0 (EID) के माध्यम से जिन छात्रों द्वारा ओ0टी0आर0 जनरेट किया जाएगा उन सभी के द्वारा एक माह के भीतर अपने आधार की जानकारी को पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

- यदि नाबालिक छात्रों के पास आधार कार्ड संख्या मौजूद नहीं है तो वह सभी अपने **माता–पिता/विधिक संरक्षक (Legal Guardian)** के **आधार कार्ड संख्या** का उपयोग कर पंजीकरण कर सकते हैं।

- प्रत्येक छात्र की एक ओ0टी0आर0 आई0डी0 मान्य होगी, जबकि माता–पिता/विधिक संरक्षक (**Legal Guardian**) अधिकतम दो ओ0टी0आर0 (दो बच्चों हेतु) की अनुमति है। यदि किसी छात्र के एक से अधिक ओ0टी0आर0 पाए जाते हैं, तो उस छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा।

- पोर्टल पर आधार/आधार नामांकन आई0डी0 (EID) से मिलान करने के लिए अन्य प्रासंगिक जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि व लिंग) को अद्यतन किए जाने का विकल्प दिया गया है।

- अपने आधार के साथ आवेदन करने वाले नाबालिक छात्रों के माता–पिता/विधिक संरक्षक (कानूनी अभिभावक) **(Legal Guardian)** यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिक छात्र–छात्रा के आधार नामांकन के लिए आवेदन करते समय ओ0टी0आर0 में उपयोग किए गए समान जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि व लिंग) को अद्यतन करने का विकल्प दिया गया है।

- ओ0टी0आर0 एक यूनिक नम्बर है जो एन0एस0पी0 पर ई0केवाईसी0 पूर्ण होने के उपरान्त जनरेट होता है।

- **Reference संख्या** का प्रयोग कर **eKYC by FaceAuth** विकल्प का चयन करने के उपरान्त Face Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त एन0एस0पी0 पर ओ0टी0आर0 संख्या प्राप्त होगी।

- ओ0टी0आर0 (**One Time Registration**) के सफल पंजीकरण हेतु **Android** आधारित उपकरणों पर **NSP OTR** एवं **Aadhar Face RD** Application को **Google Play Store** से डाउनलोड करना होगा।

- जिन छात्र–छात्राओं को **Reference संख्या** प्राप्त नहीं हुई है ऐसे छात्र–छात्राओं को सर्वप्रथम **NSP OTR** एप्लीकेशन पर दिए गए विकल्प **Register** का चयन कर **Reference संख्या** जनरेट करनी होगी।